

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 1044 /12-1 , दिनांक, पौड़ी, नवम्बर, 07 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी 0 5.00 के स्वार्का बैंड से हरिजन बस्ती ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग हेतु 0.595 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय द्वारा लगाई गई ऑनलाईन ई०डी०एस०-03.10.2025

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1847/12-1 दिनांक 17.10.2025 से अवगत कराया गया है कि आपके कार्यालय द्वारा लगाई गई ऑनलाईन ई०डी०एस० में उल्लेख है कि विषयांकित प्रकरण में 89 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं, जिसके सापेक्ष दस गुना अर्थात् 890 वृक्षों की रोपण योजना संलग्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरक्षण में कुल 89 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं, जिसमें 69 वृक्ष नाप भूमि पर तथा 20 वृक्ष वन भूमि में प्रभावित हो रहें हैं। वन भूमि में प्रभावित होने वाले 20 वृक्षों के सापेक्ष दस गुना अर्थात् 200 वृक्षों की रोपण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न की गई है, जो पुरानी दरों पर आधारित है।

अतः उक्त प्रकरण हेतु नई दरों के अनुसार 200 वृक्षों की रोपण योजना तैयार कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

o/c

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 1044/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।